समाहरणालय पूर्णियाँ

(जिला योजना कार्यालय)

पुर्ननिविदा आमंत्रण सूचना संख्या 07/2021–22

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में माननीय स0वि0प0, डॉ0 संजीव कुमार सिंह द्वारा पूर्णियाँ जिला में 08 महाविद्यालयों 01. जगदीश चन्द्रप्रभा विज्ञान महा0, बनमनखी, 02. आनन्दी जानकी महिला महा0 बनमनखी, 03. श्रीकृष्ण बलराम इन्टर महा0 मरंगा, 04. रामकिशुन कौशल्या महा0 मधुबनी 05. सुर्य नारायण सिंह यादव इन्टर महा0 रामबाग, 06. गुलाबचन्द्र साह सर्वोदय इन्टर महा0 रानीपतरा 07. बनारसी देवी जेजानी इन्टर महा0 गढ़बनैली 08. बीरनारायण चन्द इन्टर महा0, धमदाहा, पूर्णियाँ में प्रायोगिक सामग्रियों/उपस्करों के क्रय कर आपूर्ति करने हेतु अनुशंसा किया गया है। जिसके आलोक में आपूर्ति हेतु निबंधित निविदादाता से मुहरबंद निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय) दो अलग–अलग लिफाफों में बन्द कर एक बड़े लिफाफा में दोनो निविदा को डालकर सीलबन्द कर बड़े अक्षरों में "मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत प्रायोगिक उपकरणों/उपस्करों हेतु निविदा" लिखा हो, निविदा आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक निविदादाता द्वारा अनुशंसित प्रायोगिक सामग्रियों/उपस्करों की सूची एवं विशिष्टि दिनांक 23/8/2021 तक कार्य दिवस में जिला योजना कार्यालय, पूर्णियाँ से प्राप्त किया जा सकता है, अथवा जिला के वेबसाईट www.purnia.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। दिनांक 24/8/2021 को ....12.. बजे अपराह्न तक जिला योजना कार्यालय, पूर्णियाँ में मुहरबंद निविदा प्राप्त किया जायेगा एवं उसी दिन ....2.. बजे अपराह्न में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय वेश्म में क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है।

निविदा में निम्न शर्तो का अनुपालन आवश्यक है:–

(क) **तकनीकी निविदा की शर्ते :–**

1. तकनीकी निविदा में 30000.00 (तीस हजार रूपये) मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट, जो जिला योजना पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पदनाम से हो एवं पूर्णियाँ में भुगतान योग्य हो, अग्रधन राशि के रूप में संलग्न करना होगा।
2. निविदादाता को प्रतिष्ठान का निबंधन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
3. GST में निबंधन से संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
4. तीन वर्षो का आयकर रिटर्न की प्रति एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को समरूप कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र एवं कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
6. तीन वित्तीय वर्ष में औसतन टर्न ओवर 03.00 करोड़ (तीन करोड़) रूपये का होना अनिवार्य है (सत्यापन के लिए चाटर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षण Profit & Loss और Balance Sheet, संलग्न करना होगा।
7. निविदादाता को ISO प्रमाण–पत्र ISO 9001:2015 प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
8. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नही होने का नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत शपथ–पत्र मूल प्रति में सलग्न करना होगा।
9. आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्ते :–

10. वित्तीय निविदा में उपलब्ध अनुशंसित सूची के अनुसार सभी उपकरणों/उपस्करों का नाम एवं प्रति इकाई दर कर सहित देना होगा।

(ग) सामान्य शर्त्ते

11. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
12. सभी उपकरणों/उपस्करों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन से संबंधित निर्गत प्रमाण–पत्र के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
13. कार्यादेश के अनुरूप सभी उपकरणों/उपस्करों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन निर्धारित समय–सीमा के अन्दर अनुशंसित महाविद्यालयों में करना होगा। किसी प्रकार का भाड़ा देय नही होगा।
14. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्त्तें मान्य होगी।
15. विवाद की स्थिति में पूर्णियाँ व्यवहार न्यायालय का क्षेत्राधिकार लागू होगा।
16. बिना कारण बताये निविदा को आंशिक/पूर्णतः स्वीकृत/रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

उप विकास आयुक्त,
पूर्णियाँ।
29/7/2021